



अंत्योदय सरल



अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना

पात्रता

- प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।
- परिवार पहचान पत्र में आवेदक की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
- मरम्मत किया जाने वाला मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना और मरम्मत योग्य होना चाहिए। मरम्मत के लिए ऋण और कहीं से नहीं लिया होना चाहिए और आधार कार्ड दिया जाना आवश्यक है।

लाभ

इस योजना के तहत, उन सभी परिवारों को जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख रुपये से कम है या इसके बराबर है, जिनके घर की मरम्मत की आवश्यकता है, इस उद्देश्य के लिए 80000/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

आवश्यक दस्तावेज़

पहचान/नागरिकता का सबूत निम्नलिखित है:-

- अधिवास प्रमाण पत्र/हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
- मरम्मत किए जाने वाले घर की तस्वीरें और मालिक के साथ घर की फोटो।
- बैंक अकाउंट पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी. (आधार से जुड़ा हुआ) - स्वप्रमाणित/अंगूठे का निशान
- सरपंच या नंबरदार या एमसी या पटवारी द्वारा सत्यापित भूमि प्रमाण की स्कैन की गई प्रति
- मरम्मत किये जाने वाले घर का अनुमान



अंत्योदय सरल



सेवा के लिए फीसें

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केंद्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रु0 10/-	रु0 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा: 60 दिन